

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार/नायब तहसीलदार महोदय
मंडल.....तहसील.....

विषय- फौती नामांतरण प्र.क्र. /अ-6/202 -2 मे जांच प्रतिवेदन।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक
निवासी ग्राम..... तहसील..... जिला..... ने
खातेदार
निवासी ग्राम..... की मृत्यू हो जाने के कारण फौत खातेदार के
हिस्से की भूमि खसरा नं.....

स्थित भूमि ग्राम..... पटवारी हल्का नं.....रा.नि.मं.
का नामांतरण उनके वरिसान के नाम कराने हेतु आवेदन तहसील न्यायालय मे
किया था। उक्त प्रकरण मे मेरे द्वारा इस विषय मे जांच की जिसमे पाया कि
फौत खातेदार एवं उनके वरिसान आवेदक के उक्त पता पर निवास करते रहे हैं
अतः फौत खातेदार के जीवित विधिक वरिसानों का खानदान सिजरा आवेदक के
निवासी ग्राम के हल्का पटवारी से प्राप्त किया जाना होगा तदनुसार उक्त वाद
भूमि का नामांतरण सिजरा मे दर्शाए फौत खातेदार के विधिक वरिसान के नाम
किया जाना उचित होगा।

अतः पटवारी जांच प्रतिवेदन श्रीमान की सेवा मे अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर
संप्रेषित है।

संलग्न-1. पंचनामा

2. सिजरा

पटवारी हल्का नं.-